भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1650
उत्तर दिनांक 29/07/2026 को दिया गया

राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

1650. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला
श्री राहुल कस्वां
श्रीमती संजना जाटव

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) राजस्थान में प्रचालनशील और निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी स्थापित क्षमता कितनी है, वर्तमान बिजली उत्पादन कितना है, निर्माणाधीन इकाइयाँ कौन सी हैं और प्रस्तावित नई परियोजनाएँ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के स्थानीय रोज़गार, कौशल विकास, औद्योगिक निवेश, अवसंरचना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा राजस्थान को परमाणु विनिर्माण, परमाणु अनुसंधान और परमाणु कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावना संबंधी कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का राजस्थान में भावी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के साथ स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और शिक्षण संस्थानों को जोड़ने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राजस्थान राज्य में प्रचालित, कार्यान्वयनाधीन और प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

नाभिकीय विद्युत संयंत्र/परियोजनाएं	**क्षमता (मेगावाट)**
प्रचालित नाभिकीय विद्युत संयंत्र	
आरएपीएस - 2	1 X 200
आरएपीएस - 3 व 4	2 X 220
आरएपीएस - 5 व 6	2 X 220
आरएपीपी - 7	1 X 700
निर्माण/कमीशन के अधीन नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं	
आरएपीपी - 8	1 X 700
पूर्व-परियोजना गतिविधियों के तहत नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं	
एमबीआरएपीपी - 1 व 2	2 X 700
एमबीआरएपीपी - 3 व 4	2 X 700
प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं	
आरएपीपी - 9 व 10	2 X 700

(ख) एनपीसीआईएल ने राजस्थान राज्य में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (एमबीआरएपीपी) स्थल और रावतभाटा राजस्थान स्थल के आस-पास 30 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया है। इन अध्ययनों में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के कारण जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, रोजगार, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा आदि सहित सामाजिक आर्थिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन शामिल था। इन अध्ययनों से निष्कर्ष निकला कि नाभिकीय विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं का इन स्थलों के आस-पास रहने वाले लोगों के समग्र सामुदायिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि, औद्योगीकरण की संभावना, कौशल विविधीकरण और बेहतर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं से सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ग) व (घ) यद्यपि राजस्थान के लिए कोई विशेष कार्य योजना नहीं है, सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की नाभिकीय ऊर्जा में व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए शांति अधिनियम अधिनियमित किया है। शांति अधिनियम, 2025 के तहत नियम तैयार हो जाने के बाद, स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों की नाभिकीय कार्यक्रम में भागदारी संभव हो जाएगी।

*****